खंड . 2 अंक . 10 मई 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

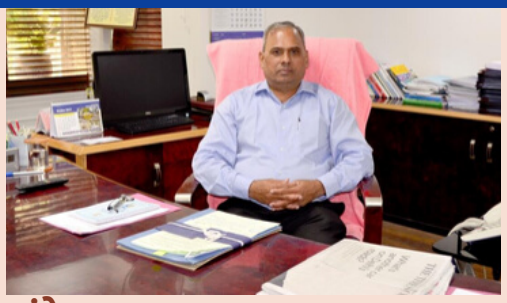

संदेश

आर.के. जैन

अध्यक्ष, के.ज.आ.

कोविड-19 महामारी के कारण देश अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है. पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण के दौरान लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे. इसके बाद 20-04-2020 को लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान केंद्रीय सरकार के कुछ कार्यालय प्रतिबंधों के साथ खोले गए. हालांकि, के.ज.आ. के बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियों में से एक होने के नाते इसे बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करने की अनुमति थी.

अधिकांश आपदाएं जो आपातकालीन सहायता और राहत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दिशा-निर्देशों में शामिल हैं, जल-मौसम संबंधी घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं और बाढ़ उनमें से एक है. बाढ़ से होने वाले नुकसान कम करने में बाढ़ पूर्वानुमान की भूमिका बहुत अहम है और वर्ष 1958 से यह कार्य के.ज.आ. के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है. 15वें वित्त आयोग ने 7 प्रमुख शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिम को दूर करने, 12 राज्यों में सूखा शमन योजना की तैयारी करने, तटों और नदी के कटाव को रोकने के लिए शमन के उपाय तथा ऐसे कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों का पुनर्वास करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ आपदा प्रतिक्रिया और इसके प्रबंधन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की सिफारिश की है. के.ज.आ. ऐसी सभी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है.

यह गर्व और संतुष्टि का विषय है कि लॉकडाउन के दौरान के.ज.आ. ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी), ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म आदि जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके अपने अधिकांश कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है. के.ज.आ. में अपेक्षित बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने के लिए किये जा रहे निरंतर प्रयासों ने मौजूदा स्थिति में बहुत मदद की है. हमारे प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे ने के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ-साथ बाहरी प्रशिक्षुओं के लिए कई दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं.

जल क्षेत्र के व्यापक मुद्दों पर माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं सचिव द्वारा कई आभासी (वर्चुअल) बैठकें की गईं. मैंने और के.ज.आ.के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उन बैठकों में भाग लिया. राष्ट्रीय जल नीति से संबंधित एक बैठक में, हमने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न लाभकारी उपयोगों के लिए अल्पता काल (लीन सीजन) के दौरान संग्रहित पानी के उपयोग के लिए बड़े बांधों और बड़े भंडारण के निर्माण की आवश्यकता है और उसके निर्माण को नई नीति में उचित महत्व दिया जाना चाहिए. सदस्य(डबल्यूपीएंडपी) द्वारा यह भी कहा गया कि संशोधित राष्ट्रीय जल नीति में जहां भी संभव हो, वहां पानी के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग पर जोर देना चाहिए. हमने "कोविड-19 के बाद जल क्षेत्र में सुधार" पर एक दस्तावेज भी तैयार किया है और उसे नीति आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया है.

हमने चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजना, बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियों के लिए तैयारियों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे कि पोलावरम सिंचाई परियोजना और प्रस्तावित उझ बहुउद्देशीय परियोजना की समीक्षा के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की. इन बैठकों को सूचना पत्र के बाद के खंडों में संक्षेपित किया गया है. के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने नदियों के आंकड़ों का अवलोकन किया और देश भर में प्रवाह, तलछट और पानी की गुणवत्ता जैसे विभिन्न मापदंडों पर लॉकडाउन के प्रभाव का विश्लेषण किया. सूचना पत्र में उनके निष्कर्षों का सारांश भी उजागर किया गया है.

आईएमडी के पहले चरण के लंबी दूरी के पूर्वानुमान के अनुसार, वर्ष 2020 में पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के दौरान सामान्य (96-104%) बारिश होने की संभावना है. आईएमडी मई के अंतिम सप्ताह या जून 2020 के प्रथम सप्ताह में दूसरे चरण के पूर्वानुमान के अंतर्गत अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा. इस मौसम में लगभग 75% वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है. 1961-2010 की अवधि के लिए पूरे देश में दक्षिणी पश्चिम मानसून की लंबी अवधि का औसत 88 सेमी है.

के.ज.आ. द्वारा निगरानी किए जा रहे 123 जलाशय राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्षों की तुलना में एक आरामदायक स्थिति प्रस्तुत करते हैं. दिनांक 30.04.2020 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 70.506 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का 41% है. इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण पिछले वर्ष के भंडारण और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण से काफी बेहतर है.

के.ज.आ. और 16 अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी) चरण- II और चरण- III के लिए आगामी ऋण वार्ता बैठक के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है.

मुझे आप सभी से यह कहने में में खुशी हो रही है कि के.ज.आ. के अधिकारियों / कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वेच्छा से पीएम केयर्स फ़ंड में रु.62,50,349 का अनुदान दिया है. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें और इस महामारी के दौरान प्राधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

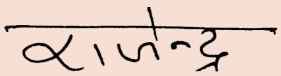

विषय-वस्तु

माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा समीक्षा बैठकें
- राष्ट्रीय जल नीति
- के.ज.आ. द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान
- के.ज.आ. की जल गुणवत्ता गतिविधियाँ
- उझ बहुउद्देशीय परियोजना
- पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की समीक्षा
- विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान
- पोलावरम सिंचाई परियोजना
- सदस्य(आरएम), के.ज.आ. द्वारा बैठक
- भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का वैज्ञानिक आकलन
- सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति
- के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान प्रशिक्षण
- बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के के.ज.आ. द्वारा मूल्यांकन की स्थिति
- पीएचईपी-I पर बैठकें
- ट्रांसबाउंडरी नदियों पर चीन के साथ सहयोग
- एफ़बीपी की समीक्षा बैठक
- डेटा कॉर्नर – कार्मिक की स्थिति
- डीआरआईपी चरण- II और चरण- III
- राष्ट्रीय जल अकादमी
- के.ज.आ. के लिए आरबीएम-आईडबल्यूआरडीएस घटक
- जलाशय प्रबोधन
- भारतीय नदियों पर लाकडाउन का प्रभाव
- जल क्षेत्र- समाचार
- के.ज.आ. के 75 साल
- इतिहास- नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा समीक्षा बैठकें

1. राष्ट्रीय जल नीति

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 02.04.2020 को वीसी के माध्यम से वर्तमान में संशोधित की जा रही राष्ट्रीय जल नीति पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई.

बैठक में माननीय मंत्री जी ने उपस्थित विभिन्न अधिकारियों से राष्ट्रीय जल नीति के प्रारूपण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा. श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., सुश्री देवश्री मुखर्जी, अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. और श्री राजीव रंजन मिश्रा, महानिदेशक, एनएमसीजी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि जल फूटप्रिंट, जल लेखा परीक्षा, जल उपयोग दक्षता में सुधार, मांग प्रबंधन, कृषि सुधार, पानी की गुणवत्ता, पानी का लोकतंत्रीकरण, नदी संरक्षण, पारंपरिक जल निकायों का संरक्षण, आद्रभूमि (वेटलैंड) की सुरक्षा आदि पर नई राष्ट्रीय जल नीति में ध्यान देने और शामिल किए जाने की आवश्यकता है. जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार और राष्ट्रीय जल नीति की मसौदा समिति के सदस्य श्री श्रीराम वेदिरे ने कहा कि समिति संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से राष्ट्रीय जल नीति पर उनकी राय लेने के लिए परामर्श करेगी. इसके अलावा, के.ज.आ., सीजीडब्ल्यूबी, एनएमसीजी, जल जीवन मिशन, आदि के अधिकारियों को भी संशोधित राष्ट्रीय जल नीति पर उनके विचारों के लिए परामर्श किया जाना चाहिए. श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने कहा कि विभिन्न लाभकारी उपयोगों के लिए गैर-मानसून सीज़न के दौरान उपयोग के लिए पानी के भंडारण के लिए बड़े बांधों के निर्माण की आवश्यकता है और नई नीति में इसे महत्व देना चाहिए.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले की नीतियां जो विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर तैयार की गई थीं, उन्हें भी संशोधित करते समय उचित विचार दिया जाना चाहिए. श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डबल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने कहा कि संशोधित राष्ट्रीय जल नीति को जहाँ कहीं भी संभव हो वहां पानी के पुनर्चक्रण (रीसाइकल) और पुन: उपयोग पर जोर देना चाहिए.

2. के.ज.आ. द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 03.04.2020 को बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ पूर्वानुमान विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (स्काइप पर) के माध्यम से एक बैठक बुलाई गई.

बैठक की शुरुआत श्री शरद चंद्र, निदेशक(एफएफएम), के.ज.आ. द्वारा 'बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ पूर्वानुमान' पर एक प्रस्तुति से हुई. प्रस्तुति के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे:

(क) बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए, विभिन्न कमजोरियों नामतः बाढ़ क्षेत्र का अतिक्रमण, दोषपूर्ण जलाशय संचालन, आदि का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है

(ख) प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण यानि संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को एक विवेकपूर्ण मिश्रण के साथ हाइड्रोलाजिकल बेसिन को एक नियोजन इकाई के रूप में अपनाने की आवश्यकता है.

(ग) बांध/जलाशय बाढ़ को कम करने के लिए बनाए जाते हैं अगर उनके फ़्लड कुशन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है. सभी जलाशयों के लिए रूल कर्व समय-समय पर तैयार और अद्यतन किए जाने चाहिए. जहां फ़्लड कुशन का प्रावधान नहीं है ऐसे प्रमुख जलाशयों के रूल कर्व की समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे बाढ़ के मौसम की प्रमुख अवधि के दौरान कुछ गतिशील फ़्लड कुशन उपलब्ध रहे. नई जल संसाधन परियोजनाओं की योजना बनाते समय, भंडारण क्षमता में बाढ़ माडरेशन का प्रावधान तय होना चाहिए.

(घ) इनफ़्लो पूर्वानुमान रियल टाइम जलाशय संचालन में उपयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है

(ङ) बांध टूटने/ चरम बाढ़ की स्थिति के लिए सभी बांधों के लिए बांध टूटने के कारण आप्लावन, बाढ़ की लहरों और समय विश्लेषण के साथ आपातकालीन कार्य योजनाएं तैयार किए जाने की आवश्यकता है.

(च) डेटा/सूचना के तेजी से संचार के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है.

(छ) स्तर पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए खतरे और चेतावनी के स्तर और इनफ़्लो पूर्वानुमान के लिए थ्रेशोल्ड मूल्यों का नियमित रूप से पुनरीक्षण होना चाहिए.

(ज) सूक्ष्म स्तर पर अर्थात तालुका या ग्राम स्तर पर अधिक प्रभाव आधारित चेतावनी की आवश्यकता है.

माननीय मंत्री जी ने बाढ़ के पूर्वानुमान में के.ज.आ. के काम की प्रशंसा करते हुए, इसकी बेहतर सराहना के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच इसे पेश करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. उन्होंने आगामी बाढ़ के मौसम में शुरू की जाने वाली नई गतिविधियों के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर भी जोर दिया.

बैठक के दौरान कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली (टेलीमेट्री) के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया.

देश के सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण राज्यों में बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय मंत्री जी ने लाकडाउन के बाद संबंधित बाढ़ प्रभावित राज्यों के मंत्रियों और सचिवों के साथ एक बैठक बुलाये जाने की इच्छा व्यक्त की. बैठक के दौरान आईएमडी और एनडीएमए से भी प्रस्तुतियां ली जा सकती हैं.

3- के.ज.आ. की जल गुणवत्ता गतिविधियाँ

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय जल आयोग की जल गुणवत्ता गतिविधियों की समीक्षा के लिए 10.04.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की. श्री यूपी सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. और ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. /के.ज.आ./एनएमजीसी/एनआरसीडी के वरिष्ठ अधिकारी भी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए. श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक(आरडीसी -2), के.ज.आ. ने के.ज.आ. की जल गुणवत्ता गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी. उन्होंने माननीय मंत्री और प्रतिभागियों को के.ज.आ. जल गुणवत्ता नेटवर्क, 3-स्तरीय प्रयोगशाला प्रणाली, प्रयोगशालाओं की एनएबीएल स्थिति, जल गुणवत्ता क्षेत्रों में लक्ष्य हासिल करने और पानी की गुणवत्ता से संबंधित मौजूदा गतिविधियों के बारे में सूचित किया. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जैसे कि राजस्थान में लैब स्थापित करना, के.ज.आ. के पानी की गुणवत्ता नेटवर्क का उन्नयन, लैब की एनएबीएल मान्यता, राजस्थान और पंजाब की नहरों (राजस्थान फीडर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना) के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण आदि.

यमुना में नदी जल के पैरामीटर का अवलोकन करते हुए के.ज.आ. के अधिकारी

4- उझ बहुउद्देशीय परियोजना

सिंधु जल संधि, 1960 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज में उपलब्ध जल के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए अधिकृत है. 1955 के समझौते के माध्यम से पंजाब, राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ (PEPSU) और जम्मू और कश्मीर के बीच रावी और ब्यास के विभाजन से पहले के उपयोग के बाद अधिशेष जल को साझा किया गया था और बाद में भारत के प्रधान मंत्री की उपस्थिति में 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया.

माधोपुर हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में रावी नदी के पानी के पाकिस्तान में बहने के मुद्दे पर अलग-अलग रूप में चर्चा हुई है. सिंधु जल संधि प्रावधानों के अनुसार, इन नदियों के पानी का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए, उझ नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित है. उझ नदी माधोपुर हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में रावी नदी से मिलती है. संशोधित डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है. माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 13.4.2020 को मंत्रालय, के.ज.आ. और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उझ बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में संशोधित डीपीआर

बनाने के कार्य की समीक्षा के लिए बैठक ली. माननीय मंत्री जी ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और जल्द से जल्द इसे पूरा करने के लिए कहा. माननीय मंत्री जी द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार के.ज.आ. ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र (यूटी) सरकार के अधिकारियों के साथ काम करके परियोजना के मूल्यांकन को समय पर पूरा करने के लिए कार्य किया.

5-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की समीक्षा

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 21.04.2020, 23.04.2020 और 29.04.2020 को कर्नाटक, गोवा, केरल, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों के लिए पीएमकेएसवाई के तहत परियोजनाओं की समीक्षा की. बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी जिसमें ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., के.ज.आ. मुख्यालय, के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य के अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान परियोजना की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई. माननीय मंत्री जी ने जोर दिया कि मार्च 2021 से पहले परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएँ क्योंकि पीएमकेएसवाई योजना केवल मार्च 2021 तक है.

इससे पहले 1 से 6 अप्रैल 2020 के दौरान, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्यों के लिए पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की समीक्षा की. विशेष पैकेज के तहत महाराष्ट्र की परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई. उपरोक्त बैठकों में के.ज.आ. मुख्यालय, के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयोंके अधिकारियों ने भाग लिया.

के.ज.आ. में समीक्षा बैठकें

पोलावरम सिंचाई परियोजना

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने 08.04.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पोलावरम सिंचाई परियोजना के डिजाइन और ड्राइंग की स्थिति की समीक्षा की. सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. मुख्य अभियंता, डिजाइन(एनडब्ल्यूएंडएस), के.ज.आ. और अन्य संबंधित अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया. बैठक के दौरान, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने परियोजना के निर्माण को सुगम बनाने के लिए समयबद्ध पुनरीक्षण/अनुमोदन के लिए के.ज.आ. को डिजाइन और चित्र प्रस्तुत करने के लिए एजेंसियों से अनुरोध करने के लिए निर्देश दिए. पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित 9 आरेखण को के.ज.आ. की डिजाइन इकाई द्वारा अनुमोदित किया गया.

पोलावरम सिंचाई परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है. जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रिपोर्ट किया गया है. 27.02.2020 तक पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) की कुल प्रगति 69.54% है और इसे दिसंबर, 2021 तक पूरा करने की योजना है.

पीपीए की 12वीं (आपातकालीन) बैठक

पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) की 12वीं (आपातकालीन) बैठक 21.04.2020 को वीसी के माध्यम से पीपीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ., सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और के.ज.आ.-मुख्यालय के अन्य अधिकारियों ने विशेष आमंत्रित के रूप में वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लिया. बैठक में, पोलावरम सिंचाई परियोजना की वर्तमान निर्माण कार्यक्रम की जांच करने और सभी परस्पर क्रियाकलापों को शामिल करते हुए व परियोजना के जल्द पूरा होने के लिए पर्याप्त और समय पर संसाधन जुटाने के साथ एक अद्यतन परियोजना निर्माण कार्यक्रम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया. इस बात पर भी जोर दिया गया कि एजेंसियां पुनरीक्षण/अनुमोदन के लिए जल्द से जल्द के.ज.आ. को शेष आरेखण प्रस्तुत करेंगी.

विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान

विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान जल वैज्ञानिक पैरामीटर का पूर्वानुमान है, जो आमतौर पर मासिक/मौसमी प्रवाह है. सरल शब्दों में, यह भविष्य के दिनों/सप्ताह/मौसमों के समय पैमाने पर जलग्रहण में पानी की उपलब्धता का पूर्वानुमान है. जल आवंटन, सूखे का प्रबंधन और पानी के उपयोग की योजना और प्रबंधन के लिए धारा-प्रवाह के कुशल और विश्वसनीय पूर्वानुमान अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना हैं. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत 3 घाटियों (यमुना, नर्मदा, और कावेरी) का ईएचपी अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है. चयनित सलाहकार को कार्य आवंटन की मंजूरी के लिए लगभग रु. 22.67 करोड़ रुपये का पूरा प्रस्ताव मार्च 2020 के दौरान मंत्रालय को भेजा गया था. 29.04.2020 को अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा ली गई बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई. बैठक में सदस्य(डबल्यूपीएंडपी), सदस्य(आरएम), मुख्य अभियंता(बीपीएमओ), निदेशक(डबल्यूपीएंडपी समन्वय), निदेशक (आरडीसी-I) उपस्थित थे.

सदस्य(आरएम), के.ज.आ. द्वारा बैठक

जिन राज्यों में 1 मई से बाढ़ का मौसम शुरू होता है वहाँ के के.ज.आ. क्षेत्रीय संगठनों के साथ तैयारी की समीक्षा बैठक सदस्य (आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 22.04.2020 को वीसी के माध्यम से आयोजित की गयी. बैठक में कार्यकारी अभियंता स्तर तक के सभी संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया. उपरोक्त के अलावा, अधीक्षण अभियंता(एचओसी), के.ज.आ., गुवाहाटी ने मानसून से पहले बाढ़ की तैयारियों पर 20.4.2020 को राज्य के जल संसाधन विभागों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, आईएमडी, एनईएसएसी, एनईईपीसीओ, एनएचपीसी, एनएफ़ रेलवे, एनएचएआई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आदि सभी हितधारकों के साथ एक वीडियो सम्मेलन (कान्फ्रेंसिंग) का आयोजन किया.

भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का वैज्ञानिक आकलन

डॉ के.एच.वी दुर्गा राव, प्रमुख, आपदा प्रबंधन सहायता प्रभाग, एनआरएससी ने 28.04.2020 को वीसी के माध्यम से अध्यक्ष, के.ज.आ.और आरएम विंग, के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सुदूर संवेदी तकनीक का उपयोग कर फ़्लड हजार्ड मैप की तैयारी पर किए गए अध्ययन को प्रस्तुत किया. बैठक में एनआरएससी के रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन एरिया (आरएसएए) के उप निदेशक डॉ पी.वी.एन. राव भी उपस्थित थे. के.ज.आ.और एनआरएससी द्वारा किए गए अध्ययन की कार्यप्रणाली, उपयोग किए गए संसाधनों और सीमाओं की चर्चा की गयी. यह 19.03.2020 को अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति की 5वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया.

के.ज.आ.द्वारा सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति

सदस्य(डबल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. द्वारा 08.04.2020 को वीसी के माध्यम से मध्यम व वृहत सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की मूल्यांकन स्थिति की समीक्षा की गई. वर्तमान में 17 वृहत सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाओं और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का क्रमशः के.ज.आ. मुख्यालय और के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों में मूल्यांकन किया जा रहा है. इन 20 परियोजनाओं में, पांच परियोजनाओं (तीन के.ज.आ., मुख्यालय और दो क्षेत्रीय कार्यालय में) का मूल्यांकन परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएएमएस) के माध्यम से हो रहा हैं. ई-पीएएमएस परियोजना प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन और स्वीकृति की सुविधा के लिए एक वर्कफ़्लो और वेब आधारित प्रणाली है. इस प्रणाली के हितधारक ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., जीएफ़सीसी और परियोजना प्राधिकरण हैं. इसके अलावा, पांच एफएमपी परियोजनाएं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूल्यांकित की जा रही हैं.

माइक सॉफ्टवेयर पर के.ज.आ.क्षेत्रीय कार्यालयों को बाढ़ पूर्वानुमान पर प्रशिक्षण

वर्तमान में मण्डल स्तर पर पारंपरिक गेज टू गेज कोरिलेशन तकनीक से बाढ़ पूर्वानुमान किया जा रहा है. के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली स्थित एफ़सीए-I / II निदेशालयों ने माइक 11 सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए वर्षा आधारित गणितीय मॉडलिंग पर के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशिक्षण देने की पहल की है. प्रशिक्षण का उद्देश्य बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए लीड समय को बढ़ाना है. माइक वातावरण का मूल अवलोकन प्रशिक्षण के पहले मॉड्यूल में के.ज.आ. के सभी मण्डलों को शामिल करते हुए 13 और 14 अप्रैल 2020 को कराया गया. प्रशिक्षण का दूसरा मॉड्यूल मण्डल विशिष्ट है जिसे 30.04.2020 से शुरू किया गया और 22.05.2020 तक पूरा होने की उम्मीद है.

2020 के लिए प्रचालित बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क

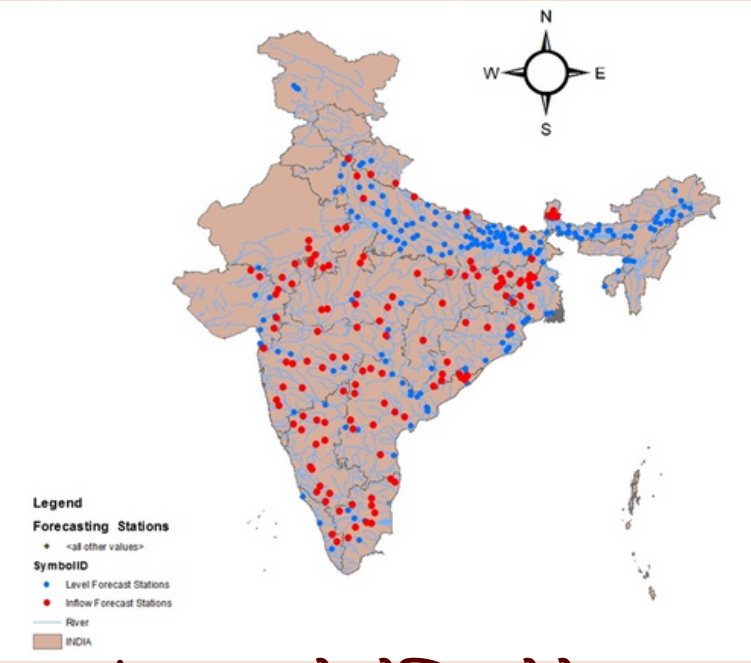

के.ज.आ.द्वारा बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति

के.ज.आ.में मूल्यांकन के तहत छह योजनाओं के संबंध में परियोजना अधिकारियों से अनुपालन का अनुरोध किया गया है.

क्रम सं.	कार्य / स्कीम का नाम	राज्य	अनुमानित लागत (रु. करोड)
1.	बूढ़ीदेहिंग बेसिन का एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन [विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना चरण -I के तहत डीपीआर]	असम	635.22
2.	असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में बक्सा और बारपेटा जिलों में मानस और बेकी नदी का एकीकृत बाढ़ और कटाव प्रबंधन (समीक्षा) (विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना चरण -Iके तहत प्रस्तावित डीपीआर)	असम	231.547
3.	ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव से नीमतिघाट क्षेत्र की सुरक्षा के लिए डीपीआर- चरण- I	असम	50.25
4.	हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मार्कंडा नदी का चैनलाइज़ेशन	हिमाचल प्रदेश	114.05
5.	मणिपुर नदी बेसिन में नदियों पर गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी कार्य	मणिपुर	371.98
6.	मणिपुर के लोकटक उप-बेसिन में नदियों / नालों और जल निकासों पर बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण	मणिपुर	60.28
	कुल		1463.33

पुनात्सांगछु-I, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, भूटान पर बैठकें

कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भूटान में चल रहे पुनात्सांगछु-I हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (पीएचईपी-I) के बारे में वीसी के माध्यम से कई बैठकें आयोजित की गईं. डॉ. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. ने 10.04.2020 को मुख्य अभियंता, डिजाइन(ईएंडएनई) और निदेशकों के साथ वीसी के माध्यम से एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पीएचईपी-I के विभिन्न डिजाइन मुद्दों पर विचार किया गया. डॉ. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. और श्री टी.के. शिवराजन, मुख्य अभियंता, डिजाइन(ईएंडएनई), के.ज.आ. द्वारा 17.04.2020 को श्री एस.एन. सहाय, सचिव, विद्युत मंत्रालय को वीसी के माध्यम से प्रगति के बारे में जानकारी दी गई. बैठक के दौरान वाप्कोस और सीईए के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

परियोजना पर एक और बैठक वीसी के माध्यम से 23.04.2020 को ली गई जिसमें पीएचईपी-I से संबंधित सभी तकनीकी संगठनों ने भाग लिया. बैठक में पीएचईपी-I के विभिन्न तकनीकी पहलुओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ., वाप्कोस, सीईए व एनएचपीसी के अधिकारियों ने भाग लिया.

ट्रांसफार्मर हॉल का उद्घाटन

पीएचईपी-I(1200 मेगावाट), भारतीय सहायता से भूटान में चल रही (कार्यान्वयन के अंतर-सरकारी मोड के तहत) निर्माणाधीन परियोजना है.

ट्रांसबाउंडरी नदियों पर चीन के साथ सहयोग

भारत सरकार ने चीन के साथ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर), चीन में यूलुजांगबू/ ब्रह्मपुत्र मुख्य नदी पर स्थित तीन स्टेशनों नामतः नुगेशा, यांगकुन और नक्सिया के संबंध में जल वैज्ञानिक जानकारी (जल स्तर, निस्सरण और वर्षा का डाटा) साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था. यह डाटा 15 मई से 15 अक्टूबर तक दिन में दो बार 0800 बजे और 2000 बजे (चीन के समय के अनुसार) साझा किया जाता है. यह भारत और चीन के बीच 09.06.2018 को क़िंगदाओ, चीन में हस्ताक्षरित एमओयू और बाद में 13.06.2019 को अहमदाबाद में हस्ताक्षरित कार्यान्वयन योजना के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार है. इसी प्रकार से, टीएआर, चीन में सतलज / लान्गकुईन जान्गपो नदी पर जाडा स्टेशन के जल वैज्ञानिक डाटा को क्रमशः वर्ष 2015 और 2016 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एमओयू और कार्यान्वयन योजना के अनुसार 01.06.2020 से शुरू किया जायेगा. जाडा स्टेशन से डाटा 15.10.2020 तक दिन में दो बार, उपरोक्तानुसार प्राप्त किया जाएगा.

बाढ़ के मौसम 2020 के लिए इस प्रयोजन हेतु, चीन सरकार को 10,25,555.00 आरएमबी युआन की राशि का भुगतान किया जाएगा. उपरोक्त जल वैज्ञानिक डाटा का उपयोग भारत में के.ज.आ. द्वारा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों में बाढ़ के पूर्वानुमान में किया जाता है.

एफबीपी की समीक्षा बैठक

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने फ़रक्का बैराज परियोजना के बारे में 15.04.2020 को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ., जीएम एफबीपी, आयुक्त(एफएम), ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. और के.ज.आ के डिजाइन(ईएंडएनई) इकाई के सभी संबंधित निदेशकों ने भाग लिया. बैठक में फाटकों के बदलने, एफबीपी के विद्युतीकरण, कटावरोधी कार्यों को समय पर पूरा करने, एफबीपी से संबंधित अतिक्रमण और बजट संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.

डेटा कार्नर - के.ज.आ. में कार्मिकों की स्थिति

पद का प्रकार	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	% भरे हुए पद
नियमित कार्मिक			
समूह क	713	551	77.28%
समूह ख राजपत्रित	589	427	72.50%
समूह ख अराजपत्रित	1053	512	48.62%
समूह ग	1552	614	39.56%
योग	3907	2104	53.85%
कार्य प्रभारित कर्मचारी	4863	2488	51.16%
समग्र योग	8770	4592	52.36%

(30.04.2020 तक)

डीआरआईपी चरण- II और चरण- III

1. डीआरआईपी चरण- II और चरण- III के लिए विश्व बैंक मूल्यांकन मिशन

विश्व बैंक ने डीआरआईपी चरण- II और चरण- III के लिए आभासी मूल्यांकन मिशन पूरा किया. 13 राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) से 15 एजेंसियों और 2 केन्द्रीय एजेंसियों (बीबीएमबी और के.ज.आ.) को आभासी मूल्यांकन मिशन के लिए आमंत्रित किया गया. विश्व बैंक ने इन एजेंसियों की तैयारियों का मूल्यांकन दस मानकों पर किया.

1. राज्य/एजेंसी परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना
2. बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल का गठन
3. चयनित बांधों का बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल द्वारा निरीक्षण
4. डिजाइन बाढ़ समीक्षा का पुनरीक्षण
5. प्रोजेक्ट बजट लाइन की स्थापना
6. राज्य/एजेंसी के लिए डीआरआईपी -II के तहत कम से कम एक बांध के लिए प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्प्लेट (पीएसटी) की स्वीकृति
7. विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक फ्रेमवर्क के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा को पूरा करना
8. विकास के लिए परियोजना अधिप्राप्ति रणनीति तैयार करना
9. क्रय योजना तैयार करना और
10. परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करना

जल संसाधन विभाग, मणिपुर के अधिकारियों के साथ आभासी मूल्यांकन बैठक की स्क्रीन दृश्य

2. पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा दस्तावेज

के.ज.आ. ने विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को पूरा करने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए हैं. ये हैं-

1. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ईएसएमएफ)
2. पर्यावरण और सामाजिक प्रतिबद्धता योजना (ईएससीपी)
3. हितधारक इंगेजमेंट फ्रेमवर्क (एसईएफ)

इन्हें विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है और डीआरआईपी चरण- II की सभी भागीदार एजेंसियों द्वारा आधिकारिक रूप से पुष्ट किया गया है. वे डीआरआईपी वेबसाइट www.damsafety.in और भागीदार एजेंसियों की संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशित हैं. ये दस्तावेज़ परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को पूरा करने के लिए भाग लेने वाली एजेंसियों के मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेंगे. के.ज.आ. ने एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना दस्तावेज़ का मसौदा भी तैयार किया है जो डीआरआईपी के अंतर्गत कम से मध्यम जोखिम श्रेणी के बांधो के लिए बांध के मालिको और विभिन्न ठेकेदारो को पुनर्वास कार्यो के निष्पादन के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए एक मॉडल दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेगा.

3. पर्यावरण और सामाजिक ड्यू डिलिजेन्स रिपोर्ट

यह दस्तावेज़ विश्व बैंक के नए पर्यावरण और सामाजिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाली आवश्यकताओं में से एक है. हर बांध के जोखिम श्रेणी का आकलन करने के लिए प्रत्येक बांध हेतु बांध विशिष्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है और तदनुसार पुनर्वास कार्यों को निष्पादित करते समय ठेकेदार को विभिन्न सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना तैयार किया जाता है. पर्यावरण और सामाजिक ड्यू डिलिजेन्स रिपोर्ट का प्रकाशन निविदा जारी करने के लिए एक पूर्व शर्त है.

भाग लेने वाली विभिन्न एजेंसियों की मदद करने के लिए, के.ज.आ. ने 10 पर्यावरण और सामाजिक ड्यू डिलिजेन्स रिपोर्ट (राजस्थान के लिए 8 और 2 मणिपुर के लिए) तैयार की हैं जिन्हें संबंधित राज्यों द्वारा प्रकाशित किया गया है. ये रिपोर्ट डीआरआईपी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा 15 और ऐसी रिपोर्टें (गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, मेघालय, यूपी, पंजाब, ओडिशा प्रत्येक के लिए एक, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए दो और केरल के लिए तीन) अंतिम चरण में और प्रकाशनाधीन हैं.

जलाशय निगरानी

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश भर के 123 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और हर ब्रहस्पतिवार को इसका एक बुलेटिन जारी करता है. इन 123 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 171.091 बीसीएम है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.36 % है.

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 30.04.2020 के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 70.506 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय धारण क्षमता का 41% है. हालाँकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान की इन जलाशयों में सक्रिय भंडारण 44.384 बीसीएम और पिछले 10 वर्ष में सक्रिय औसत भंडारण 44.422 बीसीएम था. इस प्रकार से इन जलाशयों में सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान की सक्रिय भंडारण का 163% और पिछले 10 वर्ष के औसत भंडारण का 159% है.

क्षेत्र / राज्य	जलाशयों की कुल संख्या	सक्रिय भंडारण क्षमता (बीसीएम)	के.ज.आ. की निगरानी में जलाशय		
			सं.	सक्रिय भंडारण क्षमता (बीसीएम)	कुल क्षमता का %
उत्तरी क्षेत्र	224	25.93	8	19.17	73.93%
पूर्वी क्षेत्र	290	33.69	18	19.43	57.67%
पश्चिमी क्षेत्र	2205	60.2	42	35.24	58.54%
मध्य क्षेत्र	1220	59.74	19	44.45	74.41%
दक्षिणी क्षेत्र	622	78.25	36	52.81 9	67.49%
कुल	**4561**	**257.81**	**123**	**171.09**	**66.36%**

राष्ट्रीय जल अकादमी

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का एक घटक होने के नाते, एशियाई क्षेत्र (डब्लूएमओ आरए -II) के लिए "बेसिक हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज" पर एक अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से 27 जुलाई से 11 सितंबर 2020 के दौरान आयोजित किया जाएगा. जल क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों से नामांकन मांगे जा रहे हैं.

राष्ट्रीय जल अकादमी ने गूगल क्लासरूम प्लेटफ़ॉर्म पर "ड्रेनेज एंड वाटरशेड डेलिनेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन डीमार्केशन यूजिंग जीआईएस" पर दूरस्थ शिक्षा टूल के माध्यम से प्रथम उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण को आतंरिक रूप से विकसित किया है.

यह कार्यक्रम 26 मई से 5 जून 2020 के दौरान निर्धारित है. के.ज.अ.से. अधिकारियों से नामांकन मांगे जा रहे हैं. राष्ट्रीय जल अकादमी के आतंरिक संकाय द्वारा दूरस्थ शिक्षा टूल के माध्यम से अन्य उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी चल रही है. जल क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के लाभ हेतु दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में राष्ट्रीय जल अकादमी ,पुणे और आईसीआईडी के बीच सहयोग की संभावना तलाशने के लिए वेबेक्स के माध्यम से 30.04.2020 को अध्यक्ष, के.ज.आ. की मौजूदगी में राष्ट्रीय जल अकादमी और आईसीआईडी के अधिकारियों के बीच एक बैठक बुलाई गई. वर्ष 2020-21 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर को अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है.

के.ज.आ. के लिए आरबीएम-आईडब्लूआरडीएस घटक

12 वीं योजना के दौरान जल संसाधन विकास से संबंधित ब्रह्मपुत्र बोर्ड, के.ज.आ. और एनडब्ल्यूडीए की विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 975 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ नदी बेसिन प्रबंधन (आरबीएम) योजना अनुमोदित की गई थी. 12वीं योजना अवधि के दौरान 746.77 करोड़ रुपये का व्यय किया गया.

नदी बेसिन प्रबंधन योजना में 2 मुख्य घटक शामिल हैं: -

1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2) जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण (आईडबल्यूआरडीएस)
- के.ज.आ. उप-घटक
- एनडब्ल्यूडीए उप-घटक

आईडबल्यूआरडीएस का उद्देश्य हमारी जल संसाधन परियोजनाओं का समग्र रूप से आयोजन एवं विकास है. इसमें के.ज.आ. और एनडब्ल्यूडीए के लिए दो उप-घटक हैं.

के.ज.आ. उप-घटक

एक परियोजना के लिए पहली और बुनियादी आवश्यकता अपनी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त साइट का पता लगाना है. तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए जल विज्ञान, सिंचाई योजना, पर्यावरण पहलुओं, फसल का पैटर्न, फसल जल आवश्यकता आदि पर विस्तृत सर्वेक्षण व अन्वेषण तथा अध्ययन के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है.

जल विद्युत उपलब्ध करने और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की पहचान की गई है:

- उत्तर-पूर्वी राज्य
- जम्मू और कश्मीर
- लद्दाख

आरबीएम स्कीम-आईडब्लूआरडीएस घटक - के.ज.आ. उप-घटक के अंतर्गत परियोजनाओं की भौतिक स्थिति

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	भौतिक स्थिति	उपलब्धियों का %
1	रुक्नी सिंचाई परियोजना, असम	डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी गई	100
2	सोनई सिंचाई परियोजना, असम	डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी गई	100
3	उझ , जम्मू व कश्मीर	डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी गई	100
4	किरथई, जम्मू व कश्मीर	डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी गई	100
5	सुनतले एचईपी, सिक्किम	डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी गई	100
6	कालेज़खोला एचईपी, सिक्किम	सर्वेक्षण और अन्वेषण पूर्ण. डीपीआर का मुद्रण प्रक्रियाधीन है	95
7	बेरिनियम एचईपी, जम्मू व कश्मीर	अन्वेषण कार्य जारी	25
8	कटाखल सिंचाई परियोजना, असम	अन्वेषण कार्य जारी	20
9	सीतामढ़ी जिले (बिहार) में नदियों के अधवारा समूह के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करना	डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और समोच्च रेखा मानचित्र तैयार किए गए	100
10	भूटान के संकोश बेसिन में जल मौसम – वैज्ञानिक और भूकंपीय प्रेक्षण	भूकंपीय प्रेक्षण जारी	जारी
11	तलौंग एचईपी, मिजोरम	सर्वेक्षण और जांच लगभग पूर्ण. डीपीआर की तैयारी प्रक्रियाधीन है.	85

प्रशासनिक और वित्तीय सुधार

के.ज.आ. एक तकनीकी संगठन है, जिसकी गतिविधियाँ सम्पूर्ण भारत में फैली हुई हैं. यह इस रूप में कई सुधारों और संगठनात्मक परिवर्तनों के बाद आया है. इस गतिशीलता के क्रम में तीस्ता बेसिन संगठन का पुनर्गठन तीस्ता एवं भागीरथी-दामोदर बेसिन संगठन (टीबीडीबीओ) के रूप में किया गया है. जल वैज्ञानिक प्रेक्षण परिमंडल, मैथन और इसके अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण एलजीबीओ, पटना से टीबीडीबीओ, कोलकाता को स्थानांतरित कर दिया गया है.

इसके अलावा, वाराणसी में परिमंडल कार्यालय व इसके अधीनस्थ गठन के प्रशासनिक नियंत्रण को यूजीबीओ, लखनऊ से एलजीबीओ, पटना में स्थानांतरित कर दिया गया है.

उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न गैर-स्कीम ऑब्जेक्ट हेड में आवंटन के संशोधन में क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है.

वीसी बैठकें

बैठक की तारीख	बैठक की अध्यक्षता	बैठक में प्रतिभागिता	बैठक का विषय
01-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. अधिकारी (मुख्यालय और क्षेत्रीय)	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की समीक्षा
02-04-2020	माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय	अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य	राष्ट्रीय जल नीति का संशोधन
02-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. अधिकारी (मुख्यालय और क्षेत्रीय)	बिहार, यूपी और झारखंड के पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजना की समीक्षा
03-04-2020	माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय	अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य	बाढ़ पूर्वानुमान
04-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. अधिकारी (मुख्यालय और क्षेत्रीय)	ओडिशा और झारखंड के पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजना की समीक्षा
04-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य(आरएम) और अन्य	तलछट प्रबंधन पर नीति
05-04-2020	माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय	संबंधित अधिकारी	पोलावरम परियोजना की समीक्षा
05-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. अधिकारी (मुख्यालय और क्षेत्रीय)	महाराष्ट्र विशेष पैकेज के तहत परियोजनाओं की समीक्षा
07-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. के अधिकारी (मुख्यालय और क्षेत्रीय) और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी	उझ परियोजना - समीक्षा बैठक
08-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. के अधिकारी	पोलावरम सिंचाई परियोजना की समीक्षा
09-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. के अधिकारी	अंतरिक्ष से प्राप्त सूचना का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता का पुन: निर्धारण
10-04-2020	माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय	अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य	के.ज.आ. द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी
11-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. के अधिकारी	जलाशय अवसादन अध्ययन और तलछट प्रबंधन नीति का मसौदा
12-04-2020	माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय	अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य	बीबीएमबी परियोजनाएं
13-04-2020	माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय	अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य	उझ परियोजना - समीक्षा बैठक
14-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. के अधिकारी	प्रशासनिक / आरएम कार्यों के संबंध में बैठक
15-04-2020	सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि.	सदस्य(डीएंडआर) और अन्य	फरक्का बैराज परियोजना
17-04-2020	सचिव, शक्ति मंत्रालय	सदस्य(डीएंडआर) और अन्य	पुनात्सांगछु-I एचई परियोजना
21-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. अधिकारी (मुख्यालय और क्षेत्रीय)	पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की समीक्षा
22-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. अधिकारी (मुख्यालय और क्षेत्रीय)	राजस्थान परियोजनाओं की समीक्षा
23-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. के अधिकारी	आरएम विंग गतिविधियों की समीक्षाs
24-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. के अधिकारी	उझ परियोजना की समीक्षा
27-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. अधिकारी (मुख्यालय और क्षेत्रीय)	गुजरात और गोवा राज्यों के पीएमकेएसवाई-एआईबीपी (99 परियोजनाओं) की समीक्षा
28-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ.	के.ज.आ. और एनआरएससी के अधिकारी	भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का वैज्ञानिक आकलन - एनआरएससी के साथ बैठक
29-04-2020	माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय	अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य	पीएमकेएसवाई परियोजनाएँ - केरल राज्य
29-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ	सदस्य (आरएम) / (डब्ल्यूपीएंडपी) और अन्य	विस्तारित जलविज्ञानी पूर्वानुमान (बहु सप्ताह पूर्वानुमान) पर प्रस्तुति
30-04-2020	सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि.	अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य	के.ज.आ. के सभी क्षेत्रीय संगठनों में जलविज्ञानी प्रेक्षण कार्यों की स्थिति और बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियों की तैयारी
30-04-2020	अध्यक्ष, के.ज.आ	के.ज.आ. और आईसीआईडी के अधिकारी	एनडब्ल्यूए पुणे और आईसीआईडी के बीच सहयोग

पदोन्नति

केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा, समूह 'क' के एक अधिकारी श्री ए. परमेशन को वेतन–स्तर 15 में उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) में पदोन्नत किया गया है.

भारतीय नदियों पर लॉकडाउन का प्रभाव

लॉकडाउन अवधि में के.ज.आ. ने भारत में प्रमुख नदी घाटियों के 57 स्थानों पर गेज व निस्सरण और 128 प्रमुख स्थानों पर नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी की है. 57 गेज व निस्सरण साइटों में से अधिकांश स्थानों पर जलस्तर और निस्सरण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं. 8 गेज व निस्सरण साइटों पर जलस्तर और निस्सरण में वृद्धि हुई है जो लॉकडाउन अवधि के दौरान भारत के कुछ हिस्सों की बेमौसम बारिश के कारण हो सकता है.

लॉकडाउन अवधि के दौरान इन विभिन्न स्टेशनों के लिए जल गुणवत्ता डेटा का विश्लेषण संक्षेप में नीचे दिया गया है.

क्र. सं.	प्राचल (पैरामीटर)	स्टेशनों की संख्या जिनका डेटा विश्लेषण किया गया	सकारात्मक रुझान रिपोर्ट वाले स्टेशनों की संख्या	नकारात्मक रुझान रिपोर्ट वाले स्टेशनों की संख्या	उदासीन रुझान रिपोर्ट वाले स्टेशनों की संख्या	सकारात्मक रुझान रिपोर्ट वाले स्टेशनों का प्रतिशत
1	डीओ	97	76	14	7	78.35%
2	विद्युत चालकता	100	70	27	3	70.00%
3	बीओडी	31	29	2	0	93.55%
4	कुल कॉलिफॉर्म	28	27	1	0	96.43%
5	गंदलापन	10	7	3	0	70.00%
6	सीओडी	37	23	14	0	62.16%
7	टीडीएस	13	9	3	1	69.23%

भारतीय नदियों के जल की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव देश में लॉकडाउन के कारण नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों के निस्सरण पर रोक और मानवजनित गतिविधि के अभाव के कारण हो सकता है.

महत्वपूर्ण नदियों के लिए सारांश रिपोर्ट

क्र.सं.	नदी	स्थान	टिप्पणी
1	गंगा	हृषिकेश	डीओ में जबरदस्त वृद्धि
		कानपुर	डीओ में जबरदस्त वृद्धि
		पटना	डीओ में उल्लेखनीय वृद्धि
		बलुआघाट, इलाहाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, सैदपुर, शास्त्री पुल, वी.एस. पुल, वाराणसी	डीओ में वृद्धि बीओडी में कमी कुल कोलीफॉर्म में कमी
2	यमुना	पोइयाघाट, प्रतापपुर, इटावा और हमीरपुर, पोंटा, कलानौर, मावी, दिल्ली रेल पुल और मथुरा	डीओ में वृद्धि
3	चिनाब	अखनूर	डीओ में वृद्धि, ईसी में कमी
4	तवी	जम्मू शहर	डीओ में वृद्धि, ईसी में कमी
5	गोदावरी	पेरूर, पोलावरम और भद्राचलम	ईसी और पीएच में कमी
6	कृष्णा	कराड, अर्जुनवाड	डीओ में वृद्धि ईसी में कमी
		कुरुनवाड़, विजयवाड़ा, पलेरुब्रिज, वडनापल्ली	ईसी और पीएच में कमी
7	नर्मदा	होशंगाबाद	डीओ में उल्लेखनीय वृद्धि पीएच, टीडीएस, कठोरता, बीओडी और टर्बिडिटी में कमी
8	कावेरी	कोल्लेगला	बीओडी, सीओडी, टीसी और ईसी में कमी
		कोदुमुड़ी	ईसी और टीसी में कमी
		मुसिरी	ईसी और टीसी में कमी फ्लोराइड और डीओ मूल्यों में उदासीन रुझान
9	ब्रह्मपुत्र	भोमोरागुरी	डीओ मूल्यों में उदासीन रुझान
		पांडू	टीडीएस, ईसी, टर्बिडिटी और आयरन में कमी
		गुवाहाटी	सीओडी और टर्बिडिटी में कमी
10	वैनगंगा	कुम्हारी, केओलारी	ईसी में वृद्धि और डीओ में उदासीन रुझान
		आष्टी, सतरापुर	ईसी में कमी और डीओ में वृद्धि
11	महानदी	बसंतपुर	ईसी में काफी कमी
12	पेरियार	अरुणगलि, नीलाश्वरम	ईसी, कुल कठोरता, बीओडी में थोड़ी कमी

जल क्षेत्र से समाचार

- लॉकडाउन से निर्मल हुआ गंगा नदी का जल, देश के 91 शहरों में वायु प्रदूषण भी हुआ कम (दैनिक जागरण, 02.04.2020)
- गंगा के गंगत्व में कोरोना से लड़ने की क्षमता पर शोध की जरूरत (दैनिक जागरण, 04.04.2020)
- यमुना में गन्दगी कम हुई, अब तो बदबू भी नही आ रही: एक्टिविस्ट (नवभारत टाइम्स, 06.04.2020)
- लॉकडाउन से शुद्ध पानी मुहैया कराने की मुहिम धीमी पड़ी (हिंदुस्तान, 09.04.2020)
- फ्लेक्सी फंड से होगी राज्यों में जलापूर्ति (राष्ट्रीय सहारा, 18.04.2020)
- 2020 तक जल जीवन मिशन के तहत मिलेंगे नल: ठाकुर (राष्ट्रीय सहारा, 23.04.2020)
- गंगा में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी: एनएमसीजी महानिदेशक (27.04.2020)
- लॉकडाउन में 28 हज़ार फैक्टरियां बंद होने से यमुना का जल स्वच्छ (हिंदुस्तान, 28.04.2020)
- कावेरी जल प्रबंधक अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन (जनसत्ता, 30.04.2020)

के.ज.आ. के 75 वर्ष

केज.आ. (तत्कालीन केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग) की स्थापना 05.04.1945 को सरकार द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य (श्रम) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की सलाह पर की गई थी. तब से के.ज.आ. जल संसाधन के क्षेत्र में देश में एक प्रमुख तकनीकी संगठन के रूप में विकसित हुआ है और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है. पिछले 75 वर्षों में के.ज.आ. ने देश में पूर्व-योजना अवधि में मात्र 22.6 मिलियन हेक्टेयर से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 126.63 मिलियन हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह लगभग 50 मिलियन टन से लगभग 280 मिलियन टन वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है.

के.ज.आ. विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ देशों के लिए जल संसाधनों के विकास में परामर्श प्रदान करता है. के.ज.आ. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की लगभग सभी प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं के साथ-साथ पड़ोसी देशों की परियोजनाओं से भी जुड़ा रहा है. के.ज.आ. ने पिछले 75 वर्षों में देश के जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में बहुत योगदान दिया है.

इतिहास- नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन

1500 मेगावाट क्षमता का नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (एनजेएचपीएस) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा कमीशन किया गया देश का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है जिसे पहले नाथ पाझाकरी पॉवर कार्पोरेशन (एनजेपीसी) के नाम से जाना जाता था. यह रन आफ दी रिवर प्रोजेक्ट उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सिंधु नदी प्रणाली के पूर्वी नदियों में से एक सतलज नदी पर स्थित है. नाथपा झाकरी संयंत्र को प्रत्येक वर्ष 6950.88 (6612) मिलियन यूनिट बिजली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है लेकिन संयंत्र में उत्तम प्रबंधन के कारण वार्षिक लक्ष्य से अधिक उत्पादन संभव हुआ है. वर्ष 2019 में इसने अपनी स्थापना के बाद से 100 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. 2019-20 के दौरान, इसने डिज़ाइन ऊर्जा क्षमता को आसानी से पार करते हुए 7447.48 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया. संयोग से यह संयंत्र देश में अधिकतम जलविद्युत उत्पादन कर रहा है.

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच नाथपा-झाकरी परियोजना के निष्पादन के लिए जुलाई, 1991 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. नाथपा झाकरी जलविद्युत परियोजना को 50:50 ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्तपोषित किया गया है और इसे विश्व बैंक द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त थी. परियोजना की पहली इकाई 14.10.2003 को चालू की गई और पूरी परियोजना को आधिकारिक रूप से 28.05.2005 को राष्ट्र को समर्पित किया गया . यह परियोजना 8187 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई. नाथपा झाकरी पनबिजली संयंत्र ने उत्तर भारतीय राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली व चंडीगढ़ के शहरी क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिए ग्रिड को सक्षम बनाया है.

के.ज.आ. की भूमिका

के.ज.आ. इस परियोजना के सिविल घटक का प्रमुख सलाहकार रहा है. निप्पों कोए लिमिटेड, जापान, वाप्कोस लिमिटेड, भारत और इलेक्ट्रोवाट इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्विट्ज़रलैंड का संघ अनुचर सलाहकार था. मुख्य सलाहकार के रूप में के.ज.आ. पर समग्र मार्गदर्शन, विशिष्टि एवं निर्माण ड्राइंग के अनुमोदन और सीईए, एनजेपीसी, अनुचर सलाहकारों और वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श स्थापित करने की जिम्मेदारी थी. के.ज.आ. ने सिविल घटकों के नियोजन और डिजाइन पहलुओं की विस्तार से जांच करके उसे मितव्ययी बनाने के लिए उनमे पर्याप्त संशोधन सुझाए. सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. तत्कालीन नाथपा झाकरी पावर कॉरपोरेशन (एनजेपीसी) के निदेशक मंडल के 10 सदस्यों में से एक थे जिस पर सतलज बेसिन में पनबिजली परियोजनाओं की योजना, प्रचार, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी थी . वर्ष 2000 में सतलुज नदी में आई भीषण बाढ़ ने परियोजना के निर्माणाधीन पावर हाउस को भारी नुकसान पहुंचाया. बाद में, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध के आधार पर के.ज.आ. ने रामपुर शहर में बाढ़ पूर्वानुमान करने के लिए सतलुज बेसिन पर तितांग में अपनी पहली बेस साइट, पोवारी में दूसरी बेस साइट और नाथपा में तीसरा बेस साइट बनाने के साथ बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किया. भारत सरकार ने चीन के साथ बाढ़ के मौसम के दौरान सतलुज / लेनक्विन ज़ंगबो का जलवैज्ञानिक डेटा आदान-प्रदान करने के लिए भी एक समझौता किया और के.ज.आ. का शिमला कार्यालय एमओयू की आईपी योजना के कार्यान्वयन से सम्बद्ध है. चीनी पक्ष से प्राप्त हाइड्रोलॉजिकल डेटा परियोजना प्राधिकरणों को प्रदान किया जा रहा है.

परियोजनाओं में कई अनूठी विशेषताएं हैं. इसमें दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत निस्सादक (डिसिल्टिंग) कॉम्प्लेक्स (525 मी x 16.31मी x 27.5 मी) में से एक, दुनिया के सबसे गहरे प्रोत्कर्ष (सर्ज शाफ्ट) (301 मीटर गहरे और 21.60 व्यास वाला) में से एक और 222 मीटर x 20 मीटर x 49 मीटर की बड़ी गुफा वाला एक भूमिगत बिजली घर हैं. यह परियोजना भारत के इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है और बिजली उत्पादन के लिए लगातार उच्च बेंचमार्क स्थापित कर रही है.

केन्द्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल

- डॉ समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(मा.स.प्र.)-मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ)-सदस्य
- श्री योगेश पैठणकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ)- सदस्य
- श्री पंकज कुमार शर्मा , निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री प्रवीण कुमार, निदेशक(डब्ल्यूएसई)-सदस्य
- श्री पदमा दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक(डबल्यूपीएंडपी समन्वय) -सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक(आईएसएम-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक(डीएंडआर समन्वय)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक(डब्ल्यूएसई)-सदस्य सचिव

अनुवाद : श्री शशि कान्त तिवारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी(डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in